न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 08/2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/20

निर्णय दिनांक 28.04.2025

रामचन्द्र डेलू पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ
2. सहोदरा पत्नि रामलाल
3. जयकिशन
4. राकेश — पुत्रगण रामलाल
5. रेवन्तराम पुत्र गंगाराम
6. लिछमा पत्नि गोपालराम
7. ओमप्रकाश
8. कृष्ण
9. सुमित्रा — पुत्र/पुत्री गोपालराम

जाति जाट निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति:—
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 131, 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की तरफ से दावा निम्नलिखित आधारों पर पेश है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 601/161 तादादी 5.2800 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ता 4 के खातेदारी क खेत खसरा नम्बर 784/603 तादादी 2.3500 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 5 के खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 602/161 तादादी 1.9100 हैक्टेयर रोही लिखमीसर दिखणादा में स्थित है उक्त खेत मूल खसरा नम्बर 161 तादादी 9.6700 हैक्टेयर से बने है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के खेत के मध्य सीमाऐ कायम है एवं मौके पर अलग अलग विभाजन है लेकिन राजस्व रिकार्ड में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है। वादगत खेतो का विभाजन मौके कब्जे के अनुसार करवाया था जिसमें वादगत खेतों का विभाजन भी मौके कब्जे के अनुसार किया गया था लेकिन राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो ने बिना मौका जांच किये ही वादगत खेतो की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत दर्ज कर दी जिससे राजस्व नक्शा एवं मौके में काफी अन्तर हो गया है राजस्व नक्शा में तरमीम मौके के विल्कुल विपरीत है। वादी ने अपने खेत की राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादगत खेतों का राजस्व नक्शा मोके कब्जे के अनुसार नही है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के खेतों की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी है जिसको सही करवाने के लिए बादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने सही करने से इनकार कर दिया। वादगत खेतों के राजस्व रिकार्ड के नक्शा अक्श में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के खेत की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियो ने वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को काफी परेशानिया होती है जिससे वादगत खेत के राजस्व नक्शे में तरमीम को मौके कब्जे के अनुसार करवाया जाना जरूरी हो गया है। वादी का अपने खेत पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ [illegible] एवं मौके पर सीमाऐ कायम है। कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग अनुसार ही वादी घो[illegible] क[illegible]रिये अपने खेत की तरमीम राजस्व रिकार्ड में मौके कब्जे के अनुसार दर्ज करवाने का अधिकार है। वादी की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा सीट मे मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को कई तरह की परेशानिया आती है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:36:06 IST
Reason: SelfAttested

3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अपने खसरे की तरमीम कब्जा एवं मौका के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने की अधिकारी है । वादी के खेत नक्शा सीट में मौके एवं कब्जे के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा सीट में तरमीम करवाने हेतु प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने दिनांक 17.10.2023 को वादी की भूमि की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करने से स्पष्ट इनकार कर दिया गया। यही वाद कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हासिल है। दावा घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती का है जिसमें स्टेट को पक्षकार भूमिधारी होने से बनाया गया है। स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए धारा 80 (1) सीपीसी के नोटिश की छूट हेतु धारा 80 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दावा पेश किया जा रहा है। दावा जानकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है। दावा श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार में है। अतः दावा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार आदेशित फरमावें ।

(क) यह है कि वादी के खेत खसरा नंबर 601/161 तादादी 5.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 784/603 तादादी 2.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 602/161 तादादी 1.9100 हैक्टेयर रोही लिखमीसर दिखणादा की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जावें।

(ख) यह है कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावें कि वो वादी के खसरा नम्बर 601/161 तादादी 5.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 784/603 तादादी 2.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 602/161 तादादी 1.9100 हैक्टेयर रोही लिखमीसर दिखणादा की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दर्ज करें।

(ग) यह है कि अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दोराने दावा हो जावे वो भी प्रदान किया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 9 बावजूद समन तामिल उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 601/161 तादादी 5.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 784/603 तादादी 2.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 602/161 तादादी 1.9100 हैक्टेयर रोही लिखमीसर दिखणादा की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जाकर मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रहन यथावत् रहेगा। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:06 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल (R.A.S.)

उनवान

रामचन्द्र डेलू पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी लिखमीसर उतरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ
2. सहोदरा पत्नि रामलाल
3. जयकिशन } पुत्रगण रामलाल
4. राकेश }
5. रेवन्तराम पुत्र गंगाराम
6. लिछमा पत्नि गोपालराम
7. ओमप्रकाश }
8. कृष्ण } पुत्र/पुत्री गोपालराम
9. सुमित्रा }

(क्रम 2 से 9) जाति जाट निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 08/2024
निर्णय दिनांकः28.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता राजूराम बाना एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही व स्टेट की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 601/161 तादादी 5.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 784/603 तादादी 2.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 602/161 तादादी 1.9100 हैक्टेयर रोही लिखमीसर दिखणादा की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जाकर मौके कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शा सीट में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रहन यथावत् रहेगा।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 28 माह 04 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:06 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:06 IST
Reason: SelfAttested